


Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
 नप्रीत कौर आदि बनाम सिनियर सेक्शन ईनिनियर, उत्तर-पश्चिम रेल्वे, श्रीगंगानगर आदि
 म मुकदमा 88-188-92ए-209 आरटीएक्ट नम्बर 180 सन् 2025
 जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/427

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
9.2025	वादिया मनप्रीत कौर पत्नी श्री तेजपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 16 जेड. तहसील व जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता ने वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.11.2025 को पेश हो।  (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	1302 24/11/25
26/11/25	बकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक <u>27/11/25</u> को पेश हो। 18/11/25 का पत्रावली अधिवक्ता के द्वारा पेश की गई थी। पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। अधिवक्ता ने विवेक से मुकदमा स्थगित करने का फैसला किया है। प्रतिवादीगण को तलब करने की आवश्यकता नहीं है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है। वादी अधिवक्ता के कारण पत्रावली के अभाव में मुकदमा स्थगित है।	